"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 259] रायपुर, सोमवार, दिनांक 17 अक्टूबर 2005—आश्विन 25, शक 1927

वित्त तथा योजना विभाग

(वाणिज्यिक कर विभाग)

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2005

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/7/2003/वाक/पांच (46).—चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995), की धारा 17 एवं केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा अधिसूचना क्रमांक ए-3-14-92-विक-पांच (50), दिनांक 30 जून, 1993, में निम्नानुसार संशोधन करती है :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में कंडिका 2 में अंक "18" के स्थान पर अंक "23" प्रतिस्थापित किया जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2005

क्रमांक एफ-10/7/2003/वाक/पांच (46).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/7/2003/वाक/पांच (46), दिनांक 17-10-2005 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 17th October 2005

NOTIFICATION

No. F-10/7/2003/CT/V (46).— Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary so to do in public interest;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by section 17 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), and sub-section (5) of Section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956), the State Government hereby makes the following amendment in the Notification No. A-3-14-92-ST-V (50), dated 3rd June, 1993 :—

AMENDMENT

In the said notification, in paragraph 2 for the figure "18" the figure "23" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2005

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/7/2003/वाक/पांच (47).—छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (1976 का क्रमांक 52) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा अधिसूचना क्रमांक ए-3-70-95-वाक-पांच (108) दिनांक 4 दिसम्बर, 1997 के कालम 1 में विनिर्दिष्ट व्यवसायियों के वर्ग को 1-7-2004 के पश्चात् वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ करने वाली चरण-2 इकाई के लिये इस शर्त के अधीन कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक तक जमा किया गया प्रवेश कर वापस या समायोजित नहीं किया जायेगा, उक्त अधिनियम के अंतर्गत 30-06-2009 तक प्रवेश कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2005

क्रमांक एफ-10/7/2003/वाक/पांच (47).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/7/2003/वाक/पांच (47), दिनांक 17-10-2005 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 17th October 2005

NOTIFICATION

No. F-10/7/2003/CT/V (47).—In exercise of the powers conferred by Section 10 of Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government hereby exempts the class of dealers specified in column 1 of notification No. A-3-70-95-ST-V (108) dated 4th December, 1997 from payment of entry tax up to 30-6-2009 under the said Act for the phase-2 unit commencing commercial production after 01-07-2004, subject to the condition that the entry tax deposited up to the date of publication of this notification in official gazette shall not be refunded or adjusted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2005

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/19/2005/वाक/पांच (48).—छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट माल को कालम (3) में वर्णित सीमा तक कालम (4) में दिये गये निर्बंधन एवं शर्तों के अधीन 01-10-2005 से 31-3-2006 तक की कालावधि के लिये कर के भुगतान से छूट प्रदान करता है :—

अनुसूची

अ. क्र. (1)	माल का विवरण (2)	कर मुक्ति सीमा (3)	निर्बंधन तथा शर्तें जिसके अध्यधीन रहते हुए छूट प्रदान की गई (4)
1.	धान	धारा 10 के अधीन संपूर्ण कर.	जब धान का उपयोग पोहा, मुरमुरा या लाई के निर्माण में कच्चा माल के रूप में किया जाए.
2.	धान	धारा 10 के अधीन संपूर्ण कर.	जब धान का उपयोग चांवल के निर्माण में कच्चा माल के रूप में किया जाए तथा निर्मित माल का विक्रय अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या भारत के क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में किया जाए.

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	धान	धारा 9 के अधीन संपूर्ण कर:	जबकि धान का विक्रय अधिनियम के अधीन पंजीयत व्यवसाई द्वारा ऐसे दूसरे व्यवसाई को संलग्न प्ररूप घोषणा पत्र के विरुद्ध इस आशय हेतु किया जाए कि :— (क) धान का उपयोग पोहा, मुरमुरा या लाई के निर्माण में कच्चा माल के रूप में किया जाएगा, अथवा (ख) धान का उपयोग चांवल के निर्माण में कच्चा माल के रूप में किया जाएगा तथा निर्मित माल का विक्रय अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या भारत के क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में किया जाएगा.

प्ररूप

घोषणा-पत्र

(वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक .... दिनांक .... के अधीन)

मैं .... (व्यापारी का नाम) पता .... छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 के अधीन पंजीयन प्रमाण-पत्र क्रमांक .... का धारक व्यापारी एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मैंने नीचे दिये गये विवरण अनुसार धान का क्रय .... (व्यापारी का नाम तथा पता) उक्त अधिनियम के अधीन पंजीयन प्रमाण-पत्र क्रमांक .... धारक व्यापारी से किया है.

2. मैं यह भी घोषणा करता हूं कि उक्त धान का उपयोग मेरे द्वारा -

* पोहा/मुरमुरा/लाई के निर्माण में कच्चा माल के रूप में किया जायेगा.

अथवा

* चांवल के निर्माण में कच्चा माल के रूप में किया जाएगा तथा निर्मित माल का विक्रय अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या भारत के क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में किया जाएगा.

क्रय का विवरण

विक्रय बिल/बीजक/कैश मेमो/ चालान का विवरण		क्रय किए गए माल का विवरण	मात्रा	मूल्य (रुपये)
क्रमांक	दिनांक			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5).

कुल मूल्य (अंकों में) रुपये .... (शब्दों में) रुपये .... मात्र.

स्थान ....

दिनांक ....

क्रेता के हस्ताक्षर सील एवं हैसियत सहित

* जो लागू न हो उसे काट दें.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2005

क्रमांक एफ-10/19/2005/वाक/पांच (48).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/19/2005/वाक/पांच (48), दिनांक 17-10-2005 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 17th October 2005

NOTIFICATION

No. F-10/19/2005/CT/V (48).—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the State Government hereby exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of tax to the extent specified in column (3), subject to the restrictions and condition specified in column (4) for the period from 01-10-2005 to 31-03-2006 :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Class of goods (2)	Extent of exemption (3)	Restriction and conditions subject to which exemption is granted (4)
1.	Paddy	Whole of tax u/s. 10	When paddy is used as raw material in the manufacture of poha, murmura or lai.
2.	Paddy	Whole of tax u/s. 10	When paddy is used as raw material in the manufacture of rice and finish goods is sold in the course of inter-state trade or commerce or in the course of export out of the territory of India.
3.	Paddy	Whole of tax u/s. 9	When paddy is sold by a dealer registered under the Adhiniyam to another such dealer against a declaration in the appended form to the effect that- (a) paddy shall be used as raw material in the manufacture of poha, murmura or lai, or (b) paddy shall be used as raw material in the manufacture of rice and finish goods shall be sold in the course of inter-state trade or commerce or in the course of export out of the territory of India.

APPENDIX

Declaration

(Under C.T.D. Notification No. .... Dated ....)

I .... (Name of the dealer) .... (address), a dealer holding registration certificate No. .... under the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994, hereby declare that I have purchased paddy, particulars of which have been given below from .... (Name and Address of the dealer) holding registration certificate No. .... under the said Adhiniyam.

2. I further declare that the said paddy shall be used by me-

* as raw material in the manufacture of poha/murmura/ lai.

OR

* as raw material in the manufacture of rice and finish goods shall be sold in the course of inter-state trade or commerce or in the course of export out of the territory of India.

PARTICULARS OF PURCHASE

Particulars of Bill/Invoice/Cash memo/Challan		Description of goods purchased	Quantity	Value (Rs.)
No.	Date			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Total value (in figures) Rs. .... (in words) Rs. .... only.

Place ....
Date ....

Signature of the purchaser with seal and Status

* strike out whichever is not applicable.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.